मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक/आर/2244/26-2/2016/1467 भोपाल, दिनांक 9/11/2016

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, म.प्र.।
3. समस्त आयुक्त नगर निगम, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संयुक्त/उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग म.प्र.।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र.।
6. समस्त मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी, म.प्र.।

विषय :- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के संबंध में।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु **"मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना"** 1 अप्रैल 2006 से प्रारंभ की गई है।

2. योजनांतर्गत वर्तमान में निम्न सहायता दी जाती है :-

2.1 कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली हेतु 5 वर्ष तक के लिए सावधि जमा रुपये 10000/-।

2.2 विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री (बिछिया, पायजेब (चांदी के) तथा 7 बर्तन) रुपये 5000/- (सामग्री की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है।)

2.3 कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु अन्य सामग्री क्रय करने के लिए रुपये 7000/- (यह राशि कन्या के स्वंय के बचत खाते में विवाह के एक दिन बाद अनिवार्य रुप से हस्तांतरित की जाती है।)

2.4 सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ग्रामीण/शहरी निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 3000/-।

2.5 इस प्रकार कुल राशि रुपये 25,000/- प्रति कन्या के मान से दिये जाने का प्रावधान है।

3. <u>उपरोक्त सहायता राशि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है</u> :-

3.1 कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु राशि रुपये 17,000/- की राशि अकाउंट पेयी चैक के माध्यम से सामूहिक विवाह कार्यक्रम में तत्समय ही कन्या को उपलब्ध कराई जाये।

3.2 विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री (कपड़े, बिछिया, पायजेब (चांदी के) तथा 7 बर्तन) रुपये 5000/- (सामग्री की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाये।)

3.3 सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ग्रामीण/शहरी निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 3000/-।

4. उक्त व्यवस्था दिनांक 1 नवम्बर 2016 से प्रभावशील होगी।

9/11/16

(वीरेन्द्र कुमार बाथम)
प्रमुख सचिव
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/1468/2016/26-2 2244/
भोपाल दिनांक 9/11/2016

प्रतिलिपी :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।
4. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।
5. संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
7. आयुक्त, जनसम्पर्क मध्यप्रदेश।

9/11/16

प्रमुख सचिव
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग